अमलगमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड

बनाम

जलगांव बरो नगर पालिका

3 सितंबर, 1975

[वी. आर. कृष्णा अय्यर, ए. सी. गुप्ता और एस. मुर्तजा फजल अली, जे. जे.]

भारतीय विद्युत अधिनियम 1910, धारा 22 का परंतुक - विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए समझौता- न्यूनतम बिजली उपभोग की गारंटी के लिए प्रावधान यदि परंतुक के अनुरूप।

वादी-अपीलकर्ता ने 1944 में प्रतिवादी को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रतिवादी के साथ एक समझौता किया। यह समझौता जनवरी 1951 के अंत में समाप्त हो गया और जो फरवरी 1951 से शुरू होना था पक्षकारों के बीच निष्पादित किया गया। यह समझौता पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी था। समझौते के खंड 3 में सबसे पहले यह निर्धारित किया कि सामान्य समय में, नगर पालिका विद्युत ऊर्जा की प्रतिदिन न्यूनतम 16 घंटे की अवधि के लिए आपूर्ति लेने के लिए बाध्य था, और इस न्यूनतम गारंटी को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिकतम प्रतिदिन 20 घंटे की अवधि के लिए बिजली आपूर्ति करेगी। ऐसा करने में, तथापि शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक चार घंटों को शामिल नहीं किया जाएगा। वादी ने कहा कि समझौते के तहत प्रतिवादी प्रतिदिन 16 घंटे विद्युत ऊर्जा का उपभोग करने और न्यूनतम शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य था भले ही वास्तविक उपभोग न हो। समझौते के खंड 3 के आधार पर यह दावा वादी द्वारा दिसंबर 1953 में रखा गया था। इसके दावे के परिणामस्वरूप वादी ने प्रतिवादी को कई बिल भेजे, जिसका उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया

और इसलिए यह वाद 27 फरवरी 1956 को संस्थित किया गया था।विचरण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी नगर पालिका ने वादी के आरोप से इनकार कर दिया और कहा कि समझौते की शर्तों के तहत नगर पालिका वादी कंपनी को किसी भी न्यूनतम शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं थी, भले ही विद्युत ऊर्जा का उपभोग नहीं किया गया। यह भी आरोप लगाया गया अगर समझौते में ऐसा कोई खंड था, तो भी वह भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 23 के अंतर्गत शून्य था। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी की याचिका स्वीकार कर ली और मामले को खारिज कर दिया। इसके बाद वादी ने बम्बई उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने अपील यह मानते हुए खारिज कर दी कि न्यूनतम शुल्क केवल समझौते के खंड 2 में दिए गए थे खंड 3 अपीलकर्ता के लिए किसी प्रकार से सहायक नहीं है।

विशेष अनुमति द्वारा अपील स्वीकार की गई और अभिनिर्धारित किया:

(i) समझौते के खंड 2 और 3 का विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये धाराएँ स्वतंत्र हैं और अलग प्रावधान हैं जो विभिन्न आकस्मिकताओं से संबंधित है। खण्ड 3 की शर्तें बिल्कुल स्पष्ट हैं और असंदिग्ध और यह उच्च न्यायालय के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था कि वह बहुतायत बाह्य परिस्थितियों पर विचार करे जबकि उस दस्तावेज़ की शर्तें किसी भी अस्पष्टता को स्वीकार नहीं करतीं है। ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने पूरी तरह इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि समझौते खंड 3 में वह सन्निहित है जिसे आम बोलचाल में न्यूनतम गारंटी के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है यानी कंपनी को नगर पालिका द्वारा विद्युत ऊर्जा की न्यूनतम का खपत और उसके भुगतान का आश्वासन दिया गया था, चाहे उसका उपभोग किया गया हो या नहीं। वह यही कारण था कि कंपनी पहली 50 यूनिट के बाद 0.5 आना प्रति यूनिट की न्यूनतम दर से शुल्क लगाने के लिए तैयार थी। इसलिए 0.5 आना प्रति

यूनिट की न्यूनतम दर से शुल्क, वास्तव में वादी को समझौते के खंड 3 के तहत अनुमत न्यूनतम गारंटी के लिए विचार था। [638 एच, 639 सी-डी]

(ii) समझौते के खंड 2 और 3 भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 22 के परंतुक की भाषा और भाव के अनुरूप हैं। खंड 3 का एक मात्र वाचन यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि समझौते कि यह विशिष्ट शर्त धारा 22 के परंतुक के प्रावधानों के सीधे अनुसरण में थी, जो बिजली आपूर्ति के लिए न्यूनतम गारंटी के प्रावधान को सुनिश्चित करता है। [639 ई एवं जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 748/1968.

सिविल प्रथम अपील संख्या 888/1959 में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले और डिक्री दिनांकित 14 फरवरी, 1967 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता की ओर से एफ.एस. नरीमन और आई.एन. श्रॉफ।

प्रतिवादी की ओर से के.एस. राममूर्ति और के. राजेंद्र चौधरी।

न्यायालय का निर्णय फ़ज़ल अली, जे. द्वारा दिया गया था।

बम्बई उच्च न्यायालय के 14 फरवरी, 1967 के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा यह अपील अनुबंध एक्स्ट. 39 के खंड 3 की व्याख्या पर आधारित है जो पक्षकारों के बीच उन नियमों और शर्तों के साथ निष्पादित किया गया जिनके लिए वादी अपीलकर्ता को प्रतिवादी जलगांव बोरो नगर पालिका को बिजली की आपूर्ति करनी थी।

हमें जो एक छोटा और सरल मामला प्रतीत होता है, उसे अनुबंध एक्स्ट. 39 के विभिन्न खंडों की व्याख्या करने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई तर्क की कुछ

जटिल और लिप्त प्रक्रिया द्वारा बोझिल और जटिल बना दिया गया है। वादी/अपीलकर्ता का मामला मुख्य रूप से समझौते के खंड 3 पर आधारित था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस विशेष खंड के दायरे और व्यापकता की व्याख्या पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक आवरणात्मक जांच और विस्तृत निर्धारण, मामले के इतिहास, निष्पादित समझौते के विभिन्न खंड, अपीलकर्ता द्वारा लिया गया लाइसेंस, इत्यादि में प्रवेश किया है जो, हमारी राय में, इस अपील में उठे साधारण मुद्दे के निर्णय के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थे।

मामले के तथ्य बहुत ही संकीर्ण दायरे में हैं। वादी/अपीलकर्ता ने 1944 में जलगांव बरो नगर पालिका को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए एक समझौता किया था। ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष 1944 में पक्षकारों के बीच निष्पादित समझौते के आधार पर की जानी थी। यह समझौता जनवरी 1951 में समाप्त हो गया, और 29 मई 1951 की तिथि वाला एक नया समझौता, एक्स्ट. 39, जिसे 1 फरवरी 1951 से शुरू होना था, पार्टियों के बीच निष्पादित किया गया था। यह समझौता पांच वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित किया जाना था। वर्तमान अपील में हम इस समझौते की शर्तों और विवरण, विशेष रूप से इसके खंड 3 पर विचार करना हैं।

वादी ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि समझौते के तहत प्रतिवादी प्रतिदिन 16 घंटे विद्युत ऊर्जा का उपभोग करने और कोई वास्तविक खपत न होने पर भी न्यूनतम शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य था। यह दावा वादी द्वारा समझौते के खंड 3 के आधार पर दिसंबर 1953 में पेश किया गया था। अपने दावे के परिणामस्वरूप वादी ने प्रतिवादी को कई बिल भेजे जिनका उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया और इसलिए वर्तमान मुकदमा 27 फरवरी, 1956 को शुरू किया गया। ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी नगर पालिका ने वादी के आरोपों से इनकार किया

और कहा कि समझौते की शर्तों के अनुसार नगर पालिका वादी कंपनी को किसी भी न्यूनतम शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं थी, भले ही विद्युत ऊर्जा का उपभोग न किया गया हो। यह भी आरोप लगाया गया कि अगर समझौते में ऐसा कोई खंड था तो भी वह भारतीय विद्युत अधिनियम 1970 की धारा 23 के तहत शून्य था। कई अन्य बचाव के बिन्दु भी दिये गए जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है।

सीनियर डिवीजन, जलगांव के सिविल जज की ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी की याचिका स्वीकार कर ली और वादी/अपीलकर्ता का मुकदमा खारिज कर दिया। इसके बाद वादी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और वादी द्वारा प्रस्तुत याचिका को अस्वीकार करते हुए अपील को खारिज कर दिया।

दोनों पक्षों के वकील हमारे सामने इस बात पर सहमत हुए कि पूरे मामले का भाग्य अनुबंध एक्स्ट. 39 के खंड 3 की व्याख्या पर निर्भर करता है जो मुद्रित पेपर बुक के पृष्ठ 275-277 पर है। अपीलकर्ता के लिए श्री एफ.एस. नरीमन ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या बिल्कुल गलत थी, जबकि श्री के.एस. राममूर्ति ने उच्च न्यायालय के फैसले का पुरजोर समर्थन किया। समझौते के खंड 2 और 3 पर विचार करने पर उच्च न्यायालय ने खंड 3 में निहित आवश्यक शर्त को नजरअंदाज कर दिया और पाया कि न्यूनतम शुल्क केवल समझौते के खंड 2 में दिए गए थे और खंड 3 से अपीलकर्ता कोई सहायता नहीं मिल सकती थी। उच्च न्यायालय ने कई अन्य परिस्थितियों पर भी विचार किया जो समझौते के खंड 3 की व्याख्या के उद्देश्य से बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं थीं। दस्तावेज़ की व्याख्या करने के लिए, उक्त समझौते के खंड 2 और 3 का उद्धरण देना आवश्यक हो सकता है:

"2. कंपनी नगर पालिका को आपूर्ति करेगी और नगर पालिका कंपनी से पांच साल की अवधि के लिए, 1 फरवरी 1951 से शुरू होने वाली अवधि के लिए, गिरना पंपिंग स्टेशन पर पानी पंप चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित दरों पर लेगी।

प्रति स्थापित बीएचपी पर प्रति माह पहली 50 यूनिटों के लिए 1.5 आना प्रति यूनिट और लेस्ट 0.5 आना प्रति यूनिट और ईंधन तेल की दर में प्रति टन 68/- रुपये, अर्थात युद्ध से पहले की पूर्व पावर हाउस की विद्यमान दर, से अधिक की वृद्धि पर प्रति रुपए की वृद्धि पर 0.01 आना प्रति यूनिट का अतिरिक्त शुल्क, प्रति बीएचपी प्रति माह न्यूनतम 50 यूनिटों की स्थापना के साथ, प्रति बीएचपी की पहली 50 यूनिटों का मतलब गिरना पंपिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक मोटर्स और पंप दोनों द्वारा दी गई यूनिटें शामिल होंगी। अतिरिक्त शुल्क सभी यूनिटों पर लागू होगा।

3. उक्त विद्युत मोटरों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के घंटे सरकार द्वारा स्वीकृत डीजल तेल के कोटा के अनुसार होंगे। सामान्य समय में, यानी जब डीजल तेल किसी भी आवश्यक मात्रा में और बिना किसी प्रतिबंध के उपलब्ध हो जाता है, तो नगर पालिका प्रतिदिन न्यूनतम 16 घंटे/प्रतिदिन की अवधि के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति लेगी और कंपनी अधिकतम 20 घंटे/प्रतिदिन की अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति करेगी, यानी शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक के चार घंटों को छोड़कर।"

समझौते के खंड 2 और 3 के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये दोनों खंड स्वतंत्र और अलग-अलग आकस्मिकताओं से निपटने वाले अलग-अलग प्रावधान हैं। यदि दोनों के बीच कोई संबंध है तो यह केवल इतना है कि पहली 50 यूनिटों पर 0.5 आने प्रति यूनिट की दर से चार्ज करने के लिए खंड 2 में रियायत देने

का कारण यह तथ्य है कि वादी कंपनी को आपूर्ति निश्चित अवधि के दौरान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा के लिए भुगतान की गारंटी दी गई थी भले ही नगर पालिका द्वारा इसका उपभोग किया जाता है या नहीं। खंड 3 में सबसे पहले यह निर्धारित किया गया था कि सामान्य समय में नगर पालिका प्रतिदिन न्यूनतम 16 घंटे की अवधि के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति लेने के लिए बाध्य थी और इस न्यूनतम गारंटी के मद्देनजर कंपनी अधिकतम 20 घंटे/प्रतिदिन की अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति करेगी। हालाँकि, ऐसा करने में, शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक के चार घंटों को बाहर रखा जाएगा, क्योंकि ये पीक आवर्स होने के कारण कंपनी अन्य उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र होगी। खंड 3 की शर्तें हमें बिल्कुल स्पष्ट और असंदिग्ध लग रही हैं और उच्च न्यायालय के लिए यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था कि वह बहुत सारी बाह्य परिस्थितियों में चला जाए जबकि उस दस्तावेज़ की शर्तें किसी भी अस्पष्टता को स्वीकार नहीं करती हैं। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से उस तथ्य कि अनदेखी कर दी है समझौते के खंड 3 में वह शामिल है जिसे आम बोलचाल में न्यूनतम गारंटी के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है यानी कंपनी को नगर पालिका द्वारा विद्युत ऊर्जा द्वारा न्यूनतम खपत और उसके भुगतान का आश्वासन दिया गया था, चाहे इसका उपभोग किया गया हो या नहीं। यही कारण था कि कंपनी पहली 50 यूनिटों के अलावा प्रति यूनिट 0.5 आना की न्यूनतम दर वसूलने के लिए तैयार थी। इसलिए, 0.5 आना प्रति यूनिट का न्यूनतम शुल्क वास्तव में समझौते के खंड 3 के तहत वादी को दी गई न्यूनतम गारंटी के लिए प्रतिफल था।

इसके अलावा समझौते के खंड 2 और 3 भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 22 के परंतुक की भाषा और भाव के अनुरूप हैं, जो निम्न है:

"बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति किसी अलग आपूर्ति वाले परिसर के लिए लाइसेंसधारी से ऊर्जा की आपूर्ति की मांग करने या प्राप्त करना जारी रखने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह लाइसेंसधारी के साथ ऐसी न्यूनतम वार्षिक राशि का भुगतान करने के लिए सहमत न हो जो उसे पूंजीगत व्यय पर उचित रिटर्न प्रदान करेगी, और उन परिसरों के लिए संभावित अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए उसके द्वारा किए गए अन्य स्थायी शुल्क को कवर करेगी, मतभेद या विवाद के मामले में देय राशि मध्यस्थता द्वारा निर्धारित की जाएगी।"

खंड 3 का एक मात्र वाचन यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि अनुबंध की यह विशेष शर्त अधिनियम की धारा 22 के परंतुक के प्रावधानों के सीधे अनुपालन में थी, जो बिजली की आपूर्ति के लिए न्यूनतम गारंटी का प्रावधान सुनिश्चित करता है।

इसके अलावा यह स्पष्ट है कि यदि वादी कंपनी को 0.5 आना प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली की थोक आपूर्ति करनी थी तो उसे लाइनें बिछानी थीं और आवश्यकता पड़ने पर आपूर्ति के लिए बिजली तैयार रखनी थी। उपभोक्ता जब चाहें अपने स्विच ऑन कर सकते थे और इसलिए वादी को हर चीज तैयार रखनी होती थी ताकि स्विच ऑन करते ही बिजली की आपूर्ति हो सके। इन परिस्थितियों में, यह बिल्कुल आवश्यक था कि वादी को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए न्यूनतम शुल्क का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए, चाहे उपभोग किया गया हो या नहीं, ताकि वह रखरखाव के खर्चों को पूरा करने में सक्षम हो सके।

इसलिए, इन कारणों से, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि समझौते एक्स्ट. 39 पर निचली अदालतों द्वारा की गई व्याख्या क़ानूनी तौर पर ग़लत थी और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अगला प्रश्न जिस पर विचार किया जाना है वह अपीलकर्ता कंपनी को दिए जाने वाले ब्याज की मात्रा के प्रश्न के बारे में है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री एफ.एस. नरीमन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह मुकदमे की तारीख से पहले ब्याज के लिए अपने दावे पर जोर देने की स्थिति में नहीं होंगे और यदि उन्हें मुक़दमे की तारीख से 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है तो वह संतुष्ट होंगे।

परिणाम यह है कि अपील स्वीकार कि जाती है, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के फैसले रद्द किए जाते हैं, वादी के मुकदमे को मुकदमे की तारीख से भुगतान तक 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ डिक्री पारित कि जाती है। मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, हम पूरा हर्जा खर्चा पक्षों द्वारा वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

वी.एम.के

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।